प्रशिक्षण दिया गया था और उनमें से 21 को एच०ई०सी० के चिकित्सा प्रभाग में रोजगार दिया गया है; और

(5) उन्हें टाउनशिप में विभिन्न सेक्टरों में दुकानों के आवंटन के संबंध में वरीयता दी गई है और टाउनशिप के एक सेक्टर में एक पूर्ण विकसित पुनर्वास बाजार स्थापित किया गया है।

**Software Developed by ER&DC**

1051. SHRIMATI BASANTI SARMA:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the new and novel software developed by the Software Training and Development Centre of ER&DC;

(b) how does this software compare with those of international standard;

(c) what is the annual expenditure being incurred on this centre and what its annual income; and

(d) what steps are being taken to see that the centre comes to the level of those of international repute?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY AND SPACE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) and (b) The objective of the Software Training and Development Centre (STDC) of the ER&DC is to train software personnel and develop human resource required by the software industry in the country. No major software packages development is taken up in STDC, excepting those essentially ones required for the purpose. However, there are other groups in ER&DC, where application software development is undertaken. The major areas are Control and Instrumentation, Computer and Communications, Mass Communications, Artificial Intelligence, hardware electronic designs including ASIC designs, Speech Synthesis, Digital Audio Video Transmitting systems. Aircraft Simulation, etc. The software packages developed by ER&DC are, most updated and comparable with international standards.

(c) STDC is one of the divisions of ER&DC and its accounts form a part of overall income-expenditure of ER&DC.

(d) To raise the technological level of the Centre, the following steps are being taken:—

(i) Updating of course contents based on latest development in the field;

(ii) Using latest technologies like clients/server, case tools etc. to meet the industries requirements;

(iii) Undertaking projects for Software development from foreign collaborators.

(iv) Arranging training programmes to meet the needs of the giants like IBM.

**लघु उद्योगों की स्थापना के संबंध में सरकार की नीति**

1052. **श्री इकबाल सिंह:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) लघु उद्योग क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने अथवा सरकारी संरक्षण देने के संबंध में सरकार ने क्या आवश्यक उपाय किये हैं?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम):** (क) सरकार ने हमेशा ही देश में लघु उद्योगों के संवर्धन तथा विकास हेतु एक उदार नीति अपनायी है। बड़े उद्योगों के लाइसेंसीकरण के प्रति लघु उद्योग सामान्यतः लाइसेंस के प्रतिबंधों से मुक्त रहा है।

इसकी परिणिति देश में लघु उद्योगों के जोरदार विकास के रूप में हुई है। नीतिगत समर्थन के उपायों के अलावा, राज्य व केन्द्र सरकारें दोनों ही देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन तथा सुविधाएं उपलब्ध कराकर तथा ढांचागत सुविधाओं के आवर्धन द्वारा प्रोत्साहित करती है।

(ख) से (घ) सरकार सीधे रूप से लघु उद्योग स्थापित नहीं करती। छोटे उद्यमियों को ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में छोटे एकक स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकारों के कार्यक्रम तथा नीतियों को तीव्र किया जाता है।

(ङ) छोटे औद्योगिक एककों को स्थापित करने, विशेषकर देश के ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में, स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन हेतु अनेक योजनाएं प्रोत्साहन तथा सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

1. छोटे एककों के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के तौर पर संस्थागत वित्त उपलब्ध है।

2. 836 उत्पादों को अनन्य रूप से लघु क्षेत्र में उत्पादन हेतु सुरक्षित रखा गया है।

3. सरकारी खरीद कार्यक्रमों में लघु उद्योगों के उत्पादों की खरीद तथा मूल्य में वरीयता दी जाती है।

4. 3 करोड़ रुपये तक के कुल उत्पादन वाली सभी लघु इकाइयों के लिए उत्पाद शुल्क से छूट/ढील उपलब्ध है।

5. लघु एककों की एक निश्चित ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध है।

6. एकीकृत ढांचागत विकास योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाना है। यह योजना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक तथा राज्य सरकारों के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है।

7. प्रधान मंत्री रोजगार योजना एक लाख रुपये तक की परियोजना लागत वाली अति लघु तथा सूक्ष्म इकाइयों को स्थापित करने में सहायता देना है। यह योजना सम्पूर्ण देश में राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

8. लघु इकाइयों को अनेक विशेषज्ञ संस्थाओं जैसे लघु उद्योग सेवा संस्थान, औजार कक्षों, उद्यमशीलता विकास संस्थानों आदि के माध्यम से प्रौद्योगिकी समर्थन सेवाएं तथा उद्यमशीलता प्रशिक्षण, कौशल विकास, अनुरक्षी सेवाएं आदि के विभिन्न क्षेत्रों में सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

**CGHS Institutions in Kerala**

1053. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that no institutions of CGHS is functioning in Kerala;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to open any such hospital or office in Kerala?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A. R. ANTULAY): (a) to (c). Yes, Sir. However, sanction for opening of CGHS Dispensaries at Thiruvanantpuram has been issued. It will take some time before the dispensaries start functioning there, due to location of suitable accommodation and appointment of staff etc.

**Unlawful practice of foreign law press firms in India**

1054. SHRI K. R. MALKANI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that three foreign law firms are unlawfully practising law in India as reported in The Hindustan Times dated the 26th October, 1995; and

(b) if so, what action Government have taken or are contemplating to take in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) No, Sir. However the Reserve Bank of India have informed